समझदार जीवनसाथी एवं जिम्मेदार पिता' कार्यक्रम अर्न्तगत

मातृत्व स्वास्थ्य अधिकार एवं जन पैरोकारी पर एनीमेटर्स एवं फैसलिटेटर्स प्रशिक्षण

तीन दिवसीय प्रशिक्षण माड्यूल

(सांतवा चरण)

आयोजक

सेन्टर फॉर हेल्थ एण्ड सोशल जस्टिश (सी0एच0एस0जे0)

नई दिल्ली

सहयोग

ओक फाण्डेशन

पृष्ठभूमि :

ओक फाण्डेशन के सहयोग से सेन्टर फॉर हेल्थ एण्ड सोशल जस्टिश (सी0एच0एस0जे0) द्वारा झारखण्ड के तीन जिलो रांची, गुमला व बोकरो में सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलकर 30 गांवों में सघन रूप से काम किया जा रहा है। इन जिलों में गांव स्तर पर एक–एक पिता व किशोर लड़कों के समूह गठित किये गये हैं तथा प्रत्येंक समूह में 15–20 सदस्य हैं। 'समझदार जीवनसाथी व जिम्मेदार पिता' कार्यक्रम के अर्न्तगत गांव स्तर पर उत्प्रेरक के रूप में एक एनीमेटर का चयन किया गया है। एनीमेटर हर माह दोनों समूहों की मासिक बैठक करना, समूह सदस्यों की काउन्सलिंग, समूह सदस्यों के स्तर पर होने वाले बदलाव को पहचानना व मदद करना, महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाली हिंसा व भेदभाव के खिलाफ व्यक्तिगत व सामूहिक पहल हेतु प्रयास करना, गांव स्तरीय विभिन्न सेवा प्रदाताओं व स्टेक होल्डर्स के साथ रिश्ते बनाना तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति के लिए सामाजिक तथा सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही तय करना का कार्य करता है। एनीमेटर की मदद के लिए सहयोगी संस्थाओं की ओर से फैसलिटेटर नियुक्त किये गये हैं। एनीमेटर व फैसलिटेटर की गांव स्तर पर समझ बनाने तथा उनकी मदद के लिए सहयोगी संस्थाओं द्वारा फेम सदस्यों के बीच से अनुभवी मेन्टर चयनित किये गये हैं। सी0एच0एस0जे0 द्वारा हर तीन महीने में अलग–अलग विषयों में एनीमेटर व फैसलिटेटर की जानकारी व क्षमता वृद्धि हेतु तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन करता है तथा समुदाय स्तर पर मदद किया जाता है।

मॉडयूल के बारे में :

'समझदार जीवनसाथी एवं जिम्मेदार पिता' कार्यक्रम के तहत सातवें चरण के प्रशिक्षण मॉडयूल में एनीमेटर्स व फैसलिटेटर्स की विभिन्न विषयों जैसे– स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सामाजिक व संस्थागत कारक, मातृत्व स्वास्थ्य, प्रसवपूर्व, प्रसव के दौरान व प्रसव के पश्चात् देखभाल में पुरूषों की भागीदारी, समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था के तहत मिलने वाली सेवाएं तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भूमिका, सामुदायिक निगरानी तथा गठित समूहों की भूमिका आदि विषयों पर जानकारी व समझ बढाने के लिए यह प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया गया है।

मॉडयूल के अपनाई गई पद्धति :

माड्यूल में सहभागी पद्धति से विभिन्न तरीकों के इस्तेमाल पर गतिविधियों का निर्धारण किया गया है ताकि प्रतिभागी रूचिकर तरीके से विभिन्न विषयों पर अपनी जानकारी व अभ्यासों के माध्यम से कौशल को बढ़ा सकें। इसके लिए समूह चर्चा, सामूहिक अभ्यास व प्रस्तीतकरण, फिल्म प्रदर्शन व चर्चा आदि को जोड़ा गया है।

उददेश्य :

सांतवें चरण के प्रशिक्षण मॉड्यूल का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से है –

- अधिकार आधारित दृष्टिकोण से मातृत्व एवं प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दो पर प्रतिभागियों का दृष्टिकोण निर्माण करना।
- मातृत्व स्वास्थ्य प्राविधानों को दृष्टिपात करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिभागियों का उन्मुखीकरण करना।
- स्वास्थ्य में सामाजिक जवाबदेही पर जानकारी देना तथा समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने में समूह की भूमिका पर समझ बनाना।

पहला दिन

सत्र 01– स्वागत, परिचय एवं प्रशिक्षण का उद्देश्यों पर स्पष्टता लाना

उददेश्य :

- सभी प्रतिभागी (नये व पुरानें) एक दूसरे के बारे में जान पायेगें।
- तीन दिवसीय प्रशिक्षण के उद्देश्यों को जान पायेगें।

पद्वति : दो–दो के जोड़े में

समय : 60 मिनट

गतिविधियां :

1. सर्वप्रथम प्रशिक्षक सभी प्रतिभागियों का स्वागत करें।
2. इसके बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों को स्पष्ट करें कि हम लोग दो–दो के जोड़े में एक दूसरे का परिचय देगें। जिसमें प्रतिभागियों को अपना नाम, गॉव का नाम तथा अपने गांव में क्या–क्या काम करते हैं को साझा करने के लिए कहें।
3. सर्वप्रथम प्रशिक्षक अपना परिचय प्रतिभागियों को बतायें।
4. परिचय की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद प्रशिक्षक को चाहिये कि वे तीन दिवसीय प्रशिक्षण के उद्देश्यों के बारे में प्रतिभागियों को स्पष्ट करें। उद्देश्य निम्न प्रकार हैं–
    - अधिकार आधारित दृष्टिकोण से मातृत्व एवं प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दो पर प्रतिभागियों का दृष्टिकोण निर्माण करना।
    - मातृत्व स्वास्थ्य प्राविधानों को दृष्टिपात करते हुए स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रतिभागियों का उन्मुखीकरण करना।
    - स्वास्थ्य में सामाजिक जवाबदेही पर जानकारी देना तथा समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने में समूह की भूमिका पर समझ बनाना।
5. तत्पश्चात् किसी प्रतिभागी को प्रेरित करें की वह सामूहिक तौर पर कोई गाना सुनाये। यदि प्रतिभागियों की ओर से पहल न हो तो प्रशिक्षक स्वयं गाने की शुरूआत करें लेकिन सभी प्रतिभागियों से कहें कि वो भी साथ में गायें।

सत्र 02– अपेक्षाएं एवं आधारभूत नियम

उद्देश्य :

- प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को स्थापित करना तथा प्रशिक्षण के सुचारू संचालन हेतु नियम बनाना।

पद्वति : सामूहिक चर्चा व प्रस्तुतीकरण

समय : 60 मिनट

सामग्री : बोर्ड, मार्कर

गतिविधियां :

1. प्रशिक्षक सबसे पहले प्रतिभागियों को बताये कि उन्हें अपने नोट पैड में तीन दिवसीय प्रशिक्षण में क्या जानना चाहते हैं अर्थात उनकी अपेक्षाएं क्या हैं, उन्हें लिखना है। इसके लिए 5 मिनट का समय निर्धारित कर दें।
2. प्रशिक्षक, प्रतिभागियों को यह भी स्पष्ट कर दें कि आपकी बहुत सारी अपेक्षाएं होंगी लेकिन आपको उन में से कोई मुख्य दो अपेक्षाओं को ही लिखना है।
3. प्रतिभागियों द्वारा अपेक्षाओं को लिखने के बाद एक–एक करके सभी प्रतिभागियों से उनकी अपेक्षा को पढ़ने के लिए कहें तथा निकलने वाली अपेक्षा को बोर्ड में लिखते जाय। यह क्रम जारी रखते हुए सभी प्रतिभागियों से उनकी अपेक्षाओं निकलवायें।

4. प्रशिक्षक, प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को वर्गीकृत करते हुए बोर्ड पर लिखी गई अपेक्षाओं को सभी के साथ स्पष्ट करें।
5. यदि कोई प्रतिभागी निकली हुई अपेक्षाओं के अतिरिक्त कुछ और जोड़ना चाहता हो तो इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करें।
6. तत्पश्चात् फैसलिटेटर बोर्ड़ में वर्गीकृत अपेक्षाओं को पढ़कर सुनाए कि हम इस प्रशिक्षण में किन–किन अपेक्षाओं को इस प्रशिक्षण के दौरान पूरा कर पायेगें।
7. प्रतिभागियों से निकली अपेक्षाओं के चार्ट को दीवार में लगा दें ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिन प्रतिभागी मूल्यांकन कर पाये कि उनकी कौन–कौन सी अपेक्षाएं पूरी हो पाई।

आधारभूत नियम :

1. प्रशिक्षण कार्यक्रम को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए कुछ आधारभूत नियम बनाने के लिए प्रतिभागियों को उत्साहित करे।
2. इस प्रशिक्षण के विषय को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षक को चाहिये कि वे अपनी तरफ से कुछ नियम जोड़े ताकि सभी प्रतिभागियों की गरिमा तथा गोपनियता के सिद्धातों का पालन हो सके व सभी प्रतिभागी उनका ध्यान रखें।
3. नियमावली बनाने के बाद उसे हाल में लगा दें ताकि सभी प्रतिभागी उनका पालन कर सकें।

प्रशिक्षक को चाहिये कि वह सभी प्रतिभागियों को स्पष्ट कर दें कि बनाये गये नियमों का पालन करना हर प्रतिभागी की जिम्मेदारी हैं तथा इसके लिए सभी साथी एक दूसरे की मदद करेगें।

सत्र 03– पिछले प्रशिक्षण का फालोअप

उददेश्य :

- प्रतिभागियों द्वारा किये जाने वाले बदलाव व हस्तक्षेप पर साझा फालोअप करना।
- बदलाव की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं व चुनौतियों के समाधानों पर समझ बढ़ाना।

पद्वति : बदलाव के अनुभवों की शेयरिंग

समय : 90 मिनट

सामग्री : बोर्ड/चार्ट, मार्कर

गतिविधियां :

1. प्रशिक्षक को चाहिये कि वे सबसे पहले छठें चरण में आयोजित प्रशिक्षण के विषयों को याद करें।
2. इसके बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों को निम्न बिन्दुओं के आधार पर अपनी बातों को शेयर करने के लिए कहें। नीचे के बिन्दुओं को बोर्ड में लिख दें।
    - किन–किन विषयों पर चर्चा की गई थी?
    - कौन–कौन सी गतिविधियां कराई गई?
    - अलग–अलग मुद्दो पर हमारी क्या सीख बनी?
    - रिपोर्ट कार्ड के बाद की क्या प्रक्रिया रही है, समझना
3. प्रशिक्षक यह सुनिश्चित कर लें कि सभी प्रतिभागियों ने अपनी बातों को रखा है।
4. यदि प्रतिभागियों से कोई विषय या महत्वपूर्ण गतिविधियां जो छूट गई हों उन्हें प्रशिक्षक द्वारा जोड़ा जाना चाहिये।
5. प्रतिभागियों की ओर से यदि कोई ऐसा विषय निकलकर आता है जिसमें उन्हें और जानकारी या स्पष्टता की जरूरत है तो प्रशिक्षक को चाहिये कि वे उसे स्पष्ट करें।
6. यदि प्रतिभागी दूसरे चरण के प्रशिक्षण से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातों को शेयर करना चाहते हैं तो प्रशिक्षक द्वारा उन्हे समय दिया जाना चाहिये।

सत्र 04– महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक

उददेश्य :

- महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों पर साझा जानकारी बढ़ाना।
- महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के असर पर समझ बढ़ाना।

पद्वति : समूह चर्चा व प्रस्तुतीकरण

समय : 90 मिनट

सामग्री : बोर्ड/चार्ट, मार्कर, सफेद पेपर

गतिविधियां :

1. सर्वप्रथम प्रतिभागियों को उनकी संख्या के आधार पर दो या चार समूहों में विभक्त करते हुए दो अलग–अलग जगहों पर बैठने के लिए प्रेरित करें।
2. एक समूह को महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों को चिन्हित करने व उन्हें चार्ट में लिखने के लिए कहें।
3. दूसरे समूह को महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य तत्रं से जुड़े कारकों को पहचान कर चार्ट में लिखने के लिए कहें।
4. दोनों समूहों के आपसी चर्चा व चार्ट तैयार हो जाने के बाद बारी–बारी से प्रस्तुतीकरण करने के लिए आमंत्रित करें।
5. दोनों समूहों के प्रस्तुतीकरण के दौरान यदि प्रशिक्षक को लगता है कि कोई महत्वपूर्ण बिन्दु छूट गया है तो प्रतिभागियों से चर्चा करते हुए चार्ट पर जोड़े।
6. इसकें बाद प्रशिक्षक द्वारा दोनों समूहों के प्रस्तुतीकरण के बाद विभिन्न कारकों का महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले असर पर चर्चा कराये तथा निकलने वाले महत्वपूर्ण बिन्दुओं को बोर्ड/चार्ट पर लिखते जाय।
7. अंत में प्रशिक्षक चर्चाओं के आधार पर सार संक्षेपण करें।

प्रशिक्षक के लिए –

सामाजिक–आर्थिक और राजनीतिक निर्धारक, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं

- सामाजिक : एक विकृत जाति व्यवस्था ने हमारी आबादी के बड़े हिस्से के सामाजिक और आर्थिक विकास को काफी नुकसान पहुंचाया है।
- आर्थिक : गरीबों की समस्याओं के सामधान के लिए केंद्रित और प्राथमिक आधार पर उठाए कदम के बावजूद देश की 32 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। आर्थिक स्थिति क्रय शक्ति, जीवनयापन स्तर, जीवन की गुणवत्ता और बीमारियों एवं गलत व्यवहार के स्वरूप को निर्धारित करता है।
- राजनीतिक : व्यस्कों को अधिकार मिलने के बावजूद भारत में शासन में गरीब परिवारों का प्रतिनिधित्व सीमित रहा है। संसाधनों का आवंटन, श्रमशक्ति नीति, स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की सीमा को राजनीतिक दल या उसकी विचारधारा द्वारा तय किया जाता है।
- लैंगिक मुद्दे : अधिकांश विकासशील देशों की तरह भारत में भी लैंगिक असामनता स्वास्थ्य में प्रगति और विकास में बड़ी बाधा रही है।
- भौगोलिक समस्या : सुदूरवर्ती क्षेत्र, पहुंचविहीन क्षेत्र और परिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में जहां जनसंख्या का बड़ा हिस्सा रहता है।

स्वास्थ्य व्यवस्था/तंत्र से जुड़े कारक

- सेवा प्रदाताओं की लापरवाही – समय पर न आना, काउन्सलिंग सुविधा न मिलना आदि
- स्वास्थ्य कर्मियों की कमी व स्वास्थ्य कर्मियों का खराब व्यवहार
- निःशुल्क सेवाओं में भ्रष्टाचार
- वी0एच0एस0एन0सी0 का सक्रिय न होना व सरकारी सेवाओं की निगरानी में कमी
- आंगनबाडी केन्द्र व स्कूलों में साफ–स्वच्छ शौचालयों व पेयजल व्यवस्था का न होना
- पी0डी0एस0 में कम पोषाहार व खराब गुणवत्ता

दूसरा दिन

सत्र 01– पहले दिन का रिकैप

उददेश्य :

- प्रतिभागी पहले दिन हुई चर्चाओं से बनी सीख का आंकलन कर पायेगें।
- पहले दिन के सत्रों पर प्रतिभागियों के कन्फयूजन पर स्पष्टता बन पायेगी।

पद्धति : व्यक्तिगत शेयरिंग

सामग्री : बोर्ड/चार्ट, मार्कर

समय : 60 मिनट

गतिविधियां :

1. प्रशिक्षक दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरूआत किसी सामूहिक गीत से करवायें।
2. इसके बाद प्रतिभागियों को स्पष्ट करें कि पहले दिन हुई चर्चाओं के बारे में क्या सीख बनी तथा अभी कौन सा विषय है जिस पर और स्पष्टता चाहिये, बताने के लिए कहें।
3. पहले सभी प्रतिभागियों से बारी–बारी से उनकी सीख को बताने के लिए कहें।
4. प्रतिभागियों की सीख के बाद जिन विषयों में कन्फूयजन हो या जो समझ में न आया हो, उसको बताने के लिए कहें।
5. प्रशिक्षक निकलने वाले बिन्दुओं को बोर्ड/चार्ट में लिखते जाय।
6. अंत में प्रशिक्षक को चाहिये कि निकले हुए बिन्दुओं को पुनः स्पष्ट करें।

सत्र 02– मातृत्व स्वास्थ्य व मातृ मृत्यु के कारण

उददेश्य :

- मातृत्व स्वास्थ्य व मातृ मृत्यु के कारणों पर प्रतिभागियों की जानकारी बढ़ाना।
- मातृत्व मृत्यु के सामाजिक कारणों को रोकने की दिशा में पुरूष अपनी भूमिकाओं को समझ पायेगें।

पद्धति : व्यक्तिगत शेयरिंग

सामग्री : बोर्ड/चार्ट, मार्कर

समय : 60 मिनट

गतिविधियां :

1. प्रशिक्षक सर्वप्रथम प्रतिभागियों से पूछे कि मातृत्व स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं?
2. प्रतिभागियों से निकलने वाले जवाबों को बोर्ड/चार्ट पर लिखते जाय।
3. प्रतिभागियों से निकलने वाले बिन्दुओं के आधार पर प्रशिक्षक मातृत्व स्वास्थ्य को स्पष्ट करें।

मातृ स्वास्थ्य– मातृ स्वास्थ्य उन महिलाओं के स्वास्थ्य से सम्बंधित है जो बच्चों को जन्म देने में शामिल हैं जिसमें गर्भावस्था, प्रसव और प्रसव बाद की अवधि के दौरान महिलाओं के स्वास्थ्य शामिल है। मातृ मृत्यु दर मातृत्व स्वास्थ्य को मापने के लिए महत्वपूर्ण संकेत है जिसमें गर्भावस्था और प्रसव के बाद की अवधि में कितनी महिलाएं मरती हैं, को मापा जाता है।

4. इसके बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों से चर्चा करते हुए मातृ मृत्यु के कारणों को जानें तथा प्रतिभागियों से निकलने वाले बिन्दुओं को बोर्ड/चार्ट पर लिखते जाय।
5. प्रतिभागियों से निकलने वाले बिन्दुओं के बाद छूटे हुए बिन्दुओं को अपनी तरफ से जोड़े तथा इस पर उनकी स्पष्टता बनाये।
6. अंत में प्रशिक्षक मातृ मृत्यु को रोकने में पुरूषों की भूमिका पर चर्चा करायें तथा इनपुट देते हुए उनकी जानकारी को बढ़ायें।

प्रशिक्षक के लिए :

मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण –

- देखभाल में कमी/देरी – पोषण आहार न मिलना, खून की कमी, मलेरिया, हेपेटाईटिस, मधुमेह, रक्तस्राव, संक्रमण, उच्च रक्तचाप, असुरक्षित गर्भपात, चोट, स्वास्थ्य जरूरतो को पूरा न करना, संसाधनो की कमी, परम्परागत कुप्रथाएं आदि
- उपयुक्त स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव – जांचों का न होना, स्वास्थ्य केन्द्रों में साधनों यथा दवा, जांच उपकरण आदि का अभाव, प्रशिक्षित सेवा प्रदाताओं की कमी, भेदभावपूर्ण व्यवहार, काउन्सलिंग न होना आदि
- पर्याप्त और उपयुक्त उपचार में देरी– एम्बुलेंस व रेफरल सुविधा न मिलना

सत्र 03– प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान व प्रसव के बाद देखभाल में पुरूषों की भागीदारी

उददेश्य :

- प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान व प्रसव के बाद देखभाल क्या ई इस पर प्रतिभागियों की समझ बनाना।
- प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान व प्रसव के बाद देखभाल में पुरूषों की भूमिकाओं पर सामूहिक जानकारी व समझ बनाना।

पद्धति : व्यक्तिगत शेयरिंग, समूह चर्चा व प्रस्तुतीकरण

सामग्री : बोर्ड/चार्ट, मार्कर

समय : 60 मिनट

गतिविधियां :

1. प्रशिक्षक सर्वप्रथम प्रतिभागियों से पूछें कि क्या किसी प्रतिभागी ने ए.न.सी. व पी.एन.सी. के बारे में सुना/जानते हैं, अगर जानते हैं तो क्या?
2. सर्वप्रथम प्रशिक्षक प्रतिभागियों को प्रसव पूर्व व प्रसव के बाद जांच देखभाल का क्या मतलब है, स्पष्ट करें।
3. इसके बाद प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान व प्रसव के बाद महिलाओं और बच्चों की होने वाली जांच व टीकाकरण के बारे में प्रतिभागियों को स्पष्ट करें तथा यदि उनका कोई सवाल है तो पूछने के लिए प्रेरित करें।
4. प्रतिभागियों को प्रसव पूर्व, प्रसव दौरान व प्रसव के बाद स्वास्थ्य देखभाल में पुरूषों की भागीदारी पर सामूहिक चर्चा करायें और इसके लिए प्रतिभागियों को तीन समूहों में विभाजित कर दें तथा इसके लिए 30 मिनट का समय निर्धारित कर दें।
5. समूह चर्चा के बाद तीनों समूहों को बारी–बारी से प्रस्तुतीकरण के लिए बुलायें तथा प्रस्तुतीकरण के बाद दूसरे समूह के सदस्यों को छूटे हुए बिन्दुओं को जोड़ने के लिए प्रोत्साहित करें।

6. अंत में प्रशिक्षक मातृत्व स्वास्थ्य देखभाल में पुरूषों की भागीदारी के महत्व को स्पष्ट करें।

प्रशिक्षक के लिए :

प्रसव पूर्व पुरूषों की भागीदारी	प्रसव दौरान पुरूषों की भागीदारी	प्रसव पश्चात् पुरूषों की भागीदारी
▪ गर्भधारण का पंजीकरण ▪ पोषाहार की उपलब्धता ▪ साफ सफाई व स्वच्छता ▪ एनम से सभी जांच व टीकाकरण कराना ▪ आरामदेह पहनावा की व्यवस्था ▪ गर्भावस्था के दौरान खतरे की पहचान व प्रबधंन ▪ यौन संक्रमण की पहचान व प्रबंधन ▪ वर्तमान योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी रखना ▪ घर व अन्य कामों की जिम्मेदारी लेना ▪ आपातकालीन सुविधाओं की व्यवस्था– गाड़ी, खून, पैसा, मेडिकल स्टोर आदि	▪ संस्थागत प्रसव की व्यवस्था करना ▪ गांव की सहिया को बुलाना ▪ वाहन की व्यवस्था करना ▪ पंजीकरण कार्ड रखना ▪ सभी जांच रिपोर्ट साथ में रखना ▪ डाक्टर/नर्स/प्रशिक्षित दाई की उपस्थिति में ही प्रसव ▪ प्रसव किट यदि घर में प्रसव ▪ खून की उपलब्धता ▪ जरूरत पड़ने पर मेडिकल स्टोर से दवा की उपलब्धता ▪ प्रसव के दौरान खतरे की पहचान व त्वरित प्रबधंन करना ▪ सुरक्षित व साफ ठहरने की व्यवस्था करना	▪ ठहरने के स्थान की साफ–सफाई रखना ▪ जच्चा व बच्चा की पूरी जांच व सम्पूर्ण टीकाकरण कराना ▪ आराम व पोषाहार की समुचित व्यवस्था करना ▪ समय–समय पर एनम/डाक्टर से परामर्श लेते रहना ▪ किसी भी परेशानी पर तुरन्त डाक्टर को दिखाना ▪ कुछ समय जब तक महिला की इच्छा न हो तब तक यौन सम्बंध न बनाना ▪ बच्चें की देखभाल में मदद करना ▪ घर व अन्य कामों की जिम्मेदारी स्वंय लेना

सत्र 04– मातृत्व स्वास्थ्य व योजनाएं/कार्यक्रम

उददेश्य :

- मातृत्व स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी देना।

पद्धति : व्यक्तिगत शेयरिंग, सामूहिक चर्चा व फिल्म प्रदर्शन

सामग्री : बोर्ड/चार्ट, मार्कर

समय : 90 मिनट

गतिविधियां :

1. प्रशिक्षक सर्वप्रथम प्रतिभागियों से पूछें कि मातृत्व स्वास्थ्य की विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रम क्या–क्या हैं?
2. प्रतिभागियों से निकलने वाले विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रम को बोर्ड/चार्ट पर नोट करते जाय।
3. इसके बाद प्रशिक्षक छूटे बिन्दुओं को जोड़े तथा इन पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हुए प्रतिभागियों को जानकारी दें। इस दौरान यदि उनके कोई सवाल हों तो उन्हे स्पष्ट करें।
4. तत्पश्चात् प्रशिक्षक वी.एच.एन.डी. के बारे में प्रतिभागियों से पूछे तथा उसमें स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की भूमिका पर चर्चा करते हुए जानकारी बनाये।
5. अंत में प्रशिक्षक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों (वी.एच.एस.एन.सी) के गठन व उसकी भूमिका के बारे में प्रतिभागियों से चर्चा करते हुए जानकारी दें।
6. इसके बाद प्रतिभागियों को जायका परियोजना के तहत वी0एच0एन0डी0 को लेकर बनाई गई डाक्यूमेन्ट्री फिल्म को दिखायें तथा फिल्म दिखाने के बाद उस पर चर्चा करें ताकि जानकारी और स्पष्ट हो सकें।

प्रशिक्षक के लिए :

मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य योजनाएं –

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
- समेकित महिला एवं बाल विकास परियोजना
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- सुकन्या समृद्धि योजना
- लाडली लक्ष्मी योजना
- पल्स पोलियों अभियान
- ममता वाहन
- परिवार नियोजन कार्यक्रम
- मातृत्व अवकाश
- पितृत्व अवकाश

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समितियों (वी.एच.एस.एन.सी) की भूमिका –

प्रत्येक राजस्व ग्राम स्तर पर गठित होने वाली ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति के निम्न उद्देश्य हैं:

1. समुदाय को एक ऐसा संस्थागत तंत्र देना कि सामान्य जन को स्वास्थ्य कार्यक्रमों व सरकारी प्रयासों की जानकारी प्राप्त हो सके, और वे उन कार्यक्रमों के नियोजन तथा उनको लागू करने में भागीदारी निभा सकें ताकि बेहतर परिणामों को प्राप्त किया जा सके।
2. स्वास्थ्य को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक कारकों पर सम्मिलित रूप से कार्य करने हेतु एक मंच उपलब्ध कराना।
3. समुदाय को एक ऐसा संस्थागत तंत्र मुहैया कराना जहाँ लोग मिल–बैठ कर स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में उन तक पहुँच के बारे में अपनी आवश्यकताओं को बता सकें, उनसे जुड़े अपने अनुभवों व मुद्दों को सामने ला सकें जिससे कि स्थानीय सरकारी व जन स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ सेवा प्रदाता उचित कदम उठा सकें।
4. पंचायतों को इस समझ के साथ सशक्त करना कि स्वास्थ्य, सुशासन व अन्य जन सेवाओं को लागू करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है व इसके लिए समिति के रूप में उनके पास एक संस्थागत जरिया मौजूद है। अतः उनको इस योग्य करना कि वे बेहतर जन स्वास्थ्य के लिए अगुवाई कर सकें।
5. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जैसे आशा व अन्य समुदाय स्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, जो कि समुदाय व स्वास्थ्य व्यवस्था के मध्य एक कड़ी का कार्य करते हैं, को उनके कार्य में सहयोग एवं सुगमता प्रदान कराना।

मुख्य कार्य

- लोगों की जन सेवाओं तक पहुँच को सुगम बनाना व साथ ही उसकी निगरानी करना स्वास्थ्य परिणामों को भी साथ जोड़कर देखना।
- बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रयास करना।
- ग्राम में सेवाओं को सुगम बनाना।
- ग्राम स्वास्थ्य नियोजन करना।
- स्वास्थ्य केन्द्रों की सामुदायिक निगरानी करना।
- मासिक बैठक करना।

- मुक्त/निर्बंध (अनटाइड) राशि का प्रबंधन व लेखा–जोखा करना।
- विभिन्न रेकॉर्डों/दस्तावेजों का रखरखाव करना।

ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति का संयोजन/गठन

- गाँव की ग्राम पंचायत के सदस्य
- आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम.
- स्वयं सहायता समूह की नेता, अभिभावक–शिक्षक समिति (पीटीए)/मातृ–शिक्षक समिति (एमटीए) सचिव, गांव में कार्यरत कोई भी समुदाय आधारित संगठन के प्रतिनिधि, सेवा उपयोगकर्ता समूह के प्रतिनिधि।
- अध्यक्षः पंचायत सदस्य (महिला अथवा अनुसूचित जाति/जनजाति सदस्य को प्राथमिकता)
- संयोजकः आशा; जहाँ आशा उपलब्ध न हो वहां गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता।

सत्र 05– परिवार नियोजन– गर्भनिरोधक के तरीके, सरकारी सेवाएं व जुड़े मिथक

उददेश्य :

- परिवार नियोजन क्या है? तथा उसके विभिन्न तरीकों पर प्रतिभागियों की जानकारी बढ़ाना।
- परिवार नियोजन को लेकर समाज में व्याप्त विभिन्न मिथकों पर प्रतिभागियों की स्पष्टता बनाना।

पद्धति : सामूहिक चर्चा व व्यक्तिगत शेयरिंग
सामग्री : बोर्ड/चार्ट, मार्कर
समय : 120 मिनट

गतिविधियां :

1. प्रशिक्षक सर्वप्रथम प्रतिभागियों से पूछे कि परिवार नियोजन का मतलब क्या हैं? तथा निकलने वाले प्रमुख बिन्दुओं को चार्ट/बोर्ड पर लिखते जाय।
2. इसके बाद प्रतिभागियों से पूछें कि गर्भनिरोधक साधनों का उपयोग क्यो जरूरी है? तथा निकलने वाले प्रमुख बिन्दुओं को चार्ट/बोर्ड पर लिखते जाय तथा छूटे हुए बिन्दुओं को प्रशिक्षक द्वारा जोड़ते हुए उन्हें स्पष्ट किया जाय।
3. तत्पश्चात् गर्भनिरोधक के कौन–कौन से साधन अपनाये जाते हैं इस पर प्रतिभागियों से पूछें तथा बोर्ड पर लिखते जाय। जब प्रतिभागियों की तरफ से जवाब पूरा हो जाय तो प्रशिक्षक अपनी तरफ से छूटे हुए साधनों को जोड़े।
4. प्रशिक्षक को चाहिये कि परिवार नियोजन के सभी साधनों पर उसके उपयोग कर्ता, उसकी सीमाएं आदि पर विस्तार पूर्वक जानकारी दें।
5. इसके बाद प्रशिक्षक सरकार के स्तर पर परिवार नियोजन के साधन कहां–कहां से उपलब्ध होते हैं तथा कौन उपलब्ध कराता है, इस पर जानकारी दें।
6. प्रशिक्षक परिवार नियोजन में पुरूषों की भागीदारी को सामूहिक चर्चा के माध्यम से स्पष्ट करें तथा यह भी प्रेरित करें कि उन्हें परिवार नियोजन के लिए क्यों जिम्मेदारी लेने की जरूरत है।
7. अंत में प्रशिक्षक प्रतिभागियों को उनकी अपेक्षाओं से जुड़े अन्य सवालों को इस सत्र में स्पष्ट करें तथा मिथ्य पर स्पष्टता बनायें।

सत्र के अंत में प्रशिक्षक सम्बंधित विषयों पर पाठ्य सामग्री प्रतिभागियों को उपलब्ध करायें तथा अगले दिन यदि उनके कोई सवाल हो तो पूछने के लिए प्रेरित करें।

प्रशिक्षक के लिए :

गर्भनिरोधक क्या और क्यो? –

गर्भावस्था को रोकने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अपनाई जाने वाली तकनीक को गर्भनिरोधक कहते हैं। यौन संबध के बाद जब शुक्राणु का अंडाणु के साथ मिलन होता है और निषेचन के बाद वह गर्भाशय की आंतरिक परत से जुड जाता है तब गर्भ ठहरता है।

- अनचाहा गर्भ से बचने के लिए
- स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए
- एड्स/एच0आई0वी0 से बचाव के लिए
- गर्भधारण से बचने के लिए
- बच्चो के जन्म में अंतर रखने के लिए
- यौनिक/लैंगिक संक्रमण से बचाव के लिए

गर्भावस्था को रोकने के लिए अलग–अलग गर्भनिरोधक तरीके उपयोग में लाये जाते हैं और अपने स्वास्थ्य एवं जीवन को खतरे में डाले बिना महिला या पुरूष अपनी जरूरत के हिसाब से किसी विधि का चयन करते हैं। इस प्रक्रिया को रोकने के लिए निम्न विधियां उपयोग में लाई जाती हैं –

- विद्ड्राल
- पुरूष कन्डोम
- महिला कन्डोम
- पुरूष नसबंदी (वैसेक्टॉमी)
- यौन सम्बंध नही बनाना
- गोली – माला डी, सखी आदि
- अंर्तगर्भाशयी उपकरण (आई0यू0डी0) जैसे कापर टी
- गर्भनिरोधक इन्जेक्शन
- बंध्याकरण (ट्यूबेक्टॉमी)

गर्भनिरोधक सेवाएं कहां और क्या सेवाएं मिलती हैं –

गांव स्तर पर – सहिया द्वारा गर्भनिरोधक विकल्पों की जानकारी देना, उचित साधन चुनने में मदद करना, गर्भनिरोधक गोलियां व कंडोम उपलब्ध कराना, आई.यू.सी.डी. लगवाने व नसबंदी में सहायता करना आदि।

उपस्वास्थ्य केन्द्र पर – सहिया व एनम द्वारा परिवार नियोजन सम्बंधी परामर्श व सेवाएं उपलब्ध कराना, गर्भनिरोधक गोलियां, कंडोम उपलब्ध कराना

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र – डॉक्टर व एनम द्वारा परिवार नियोजन सम्बंधी परामर्श व सेवाएं उपलब्ध कराना, आई.यू.सी.डी. लगाना, नसबंदी आपरेशन, फॉलोअप सुविधा

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र –प्रशिक्षित कर्मी, डाक्टर, नर्स द्वारा परिवार नियोजन सम्बंधी परामर्श व सेवाएं उपलब्ध कराना, आई.यू.सी.डी. लगाना, महिला व पुरूष नसबंदी आपरेशन,

जिला स्वास्थ्य केन्द्र – प्रशिक्षित कर्मी, डाक्टर, नर्स द्वारा परिवार नियोजन सम्बंधी व्यापक परामर्श व सेवाएं उपलब्ध कराना, आई.यू.सी.डी. लगाना, लैप्रोस्कोपिक नसबंदी आदि

सुरक्षित गर्भपात–

गर्भाशय से भ्रूण को खत्म करने या उसे निष्कासित कर गर्भावस्था का समापन करना ही गर्भपात है। 20 वें सप्ताह से पहले एक गर्भावस्था का अनजाने में या अनायास ही समापन गर्भपात (मिसकैरिज) है। एक स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता द्वारा तय करके किया हुआ गर्भपात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहा जाता है। एमटीपी एक्ट के अनुसार एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम के अनुसार मान्यता प्राप्त चिकित्सकीय योग्यता है तथा जिसका नाम राज्य के चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज किया गया है, एमटीपी नियमों के अनुसार प्रसूति एवं स्त्री रोग में अनुभव या प्रशिक्षण है, गर्भपात करा सकता है।

किन परिस्थितियों में एक महिला गर्भपात करा सकती है–

- गर्भवती महिला के जीवन या उसके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर खतरा होने पर
- अगर बच्चा शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़िता होगा
- बलात्कार की स्थिति में
- बच्चों की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से किसी विवाहित महिला या पति द्वारा अपनाए गये किसी गर्भनिरोधक साधन की असफलता

यौनिक/लैंगिक पहचान –

- महिला
- पुरूष
- समलैंगिक
- हिजड़ा (यूनक्स)
- लेस्बियन
- मेन सेक्स विद मेन (एम0एस0एम) – कोथी, पंथी
- ट्रान्स वेस्टाइट्ज
- ट्रान्स सेक्सुअल

यौन/लैंगिक सम्बंधों के सिद्धांत –

- गोपनियता
- आपसी विश्वास एवं सहमति
- पहले व बाद की जिम्मेदारी
- सुरक्षा
- सुरक्षित व अनुकूल माहौल
- सम्मान व गरिमा

तीसरा दिन

सत्र 01– दूसरे दिन का रिकैप

उददेश्य :

- प्रतिभागी दूसरे दिन हुई चर्चाओं से बनी सीख का आंकलन कर पायेगें।
- दूसरे दिन के सत्रों पर प्रतिभागियों के कन्फयूजन पर स्पष्टता बन पायेगी।

पद्धति : व्यक्तिगत शेयरिंग

सामग्री : बोर्ड/चार्ट, मार्कर

समय : 60 मिनट

गतिविधियां :

1. प्रशिक्षक दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरूआत किसी सामूहिक गीत से करवायें।
2. इसके बाद प्रतिभागियों को स्पष्ट करें कि दूसरे दिन हुई चर्चाओं के बारे में क्या सीख बनी तथा अभी कौन सा विषय है जिस पर और स्पष्टता चाहिये, बताने के लिए कहें।
3. पहले सभी प्रतिभागियों से बारी–बारी से उनकी सीख को बताने के लिए कहें।
4. प्रतिभागियों की सीख के बाद जिन विषयों में कन्फूयजन हो या जो समझ में न आया हो, उसको बताने के लिए कहें।

5. प्रशिक्षक निकलने वाले बिन्दुओं को बोर्ड/चार्ट में लिखते जाय।
6. अंत में प्रशिक्षक को चाहिये कि निकले हुए बिन्दुओं को पुनः स्पष्ट करें।

सत्र 02– मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सामाजिक जवाबदेही

उददेश्य :

- गुणवत्तापूर्ण मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति के लिए सामाजिक जवाबदेही पर प्रतिभागियों की समझ बन पायेगी।
- सामाजिक जवाबदेही के विभिनन पहलुओं पर प्रतिभागियों की समझ बन पायेगी।

पद्धति : खुली चर्चा व प्रस्तुतीकरण, फिल्म प्रदर्शन व चर्चा
सामग्री : बोर्ड/चार्ट, मार्कर
समय : 60 मिनट

गतिविधियां :

1. प्रशिक्षक सर्वप्रथम प्रतिभागियों से जानें की सामाजिक जवाबदेही से तात्पर्य क्या है?
2. प्रतिभागियों से निकलने वाले जवाबों को बोर्ड में लिखते जाये तथा सभी प्रतिभागियों के विचार आ जाने के बाद प्रशिक्षक सामाजिक जवाबदेही को स्पष्ट करें।
3. इसके बाद प्रशिक्षक सामाजिक जवाबदेही में समाज की भागीदारी के महत्व पर चर्चा करते हुए जानकारी स्पष्ट करें।
4. प्रशिक्षक चर्चा के अंत में सामाजिक जवाबदेही की विभिन्न प्रक्रियाओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करें।
5. इसके बाद प्रशिक्षक को चाहिये कि वह प्रतिभागियों को 'चुप्पी तोड़ो' फिल्म दिखाते हुए सामाजिक जवाबदेही के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करें तथा यदि प्रतिभागियों के कोई सवाल हों तो उन्हे स्पष्ट करें।

प्रशिक्षक के लिए :

मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं में सामाजिक जवाबदेही से तात्पर्य महिलाओं के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले विभिन्न सामाजिक व संस्थागत कारकों में बदलाव की जिम्मेदारी समुदाय के लोगों द्वारा उठाना है ताकि सभी नागरिकों खासकर समाज के कमजोर वर्गो को गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की उपलब्धता हो सके। इसमें सामुदायिक निगरानी भी शामिल है जिसमें समुदाय के प्रतिनिधियों का एक समूह द्वारा सार्वजनिक सेवाओं की पहुंच, गुणवत्ता और प्रभाव को समझने का प्रयास करता है ताकि महिलाओं की उनके अपने स्वास्थ्य अधिकारों तक पहुंच बन सकें।

सामाजिक जवाबदेही में समुदाय की भागीदारी क्यो?

- स्वास्थ्य कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए
- महिलाओं के मातृत्व स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए
- लोगों खासकर महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए
- महिलाओं की निर्णय प्रक्रियाओं में भागीदारी बढ़ाने के लिए
- पुरूषों को परिवार के अंदर खुद की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए
- स्वास्थ्य अधिकारों को पूरा करने के लिए

समुदाय आधारित निगरानी की प्रक्रियाएं –

- समुदाय को एकजुट करना

- समुदाय के बीच कार्यक्रम और क्रियान्वयन के बीच गैप को समझाना
- सेवाओं का आंकडा इकट्ठा करना, उनका विश्लेषण करना व रिपोर्ट कार्ड तैयार करना
- सुधार के लिए सम्बंधित लोगों के साथ साझा करना
- जवाबदेही व जिम्मेदारी तय करना
- फालोअप करना

सत्र 03– मातृत्व स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जन पैरोकारी की रणनीतियां

उददेश्य :

- जन पैरोकारी क्या है इसको प्रतिभागी जान पायेगें।
- जन पैरोकारी के विभिन्न तरीकों व उठाये जाने वाले विभिन्न कदमों पर प्रतिभागियों की स्पष्टता बन पायेगी।

पद्धति : सामूहिक चर्चा
सामग्री : बोर्ड/चार्ट, मार्कर
समय : 60 मिनट

गतिविधियां :

1. प्रशिक्षक सर्वप्रथम प्रतिभागियों से चर्चा करते हुए पूछे कि 'जन पैरोकारी' से उनका क्या आशय है?
2. प्रतिभागियों से निकलने वाले जवाबों को प्रशिक्षक बोर्ड पर लिखते जाये तथा सभी प्रतिभागियों के विचार आने के बाद एक परिभाषा बनायें।
3. इसके बाद प्रशिक्षक जन पैरोकारी के लिए अपनाये जाने वाले तरीकों को स्पष्ट करें।
4. प्रशिक्षक जन पैरोकारी में विभिन्न स्टोक होल्डर्स व संस्थाओं की भूमिकाओं पर चर्चा करते हुए प्रतिभागियों के साथ समुदाय स्तर पर उनकी पहचान की जानी चाहिये।
5. समुदाय स्तर पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की प्राप्ति के लिए पुरूष कहां–कहां पर पैरोकारी कर सकते हैं इस पर जानकारी बढ़ायें।

प्रशिक्षक के लिए :

पैरोकारी सामाजिक न्याय व सार्वजनिक नीतियों को प्रभावी रूप से प्रभावित करने हेतु योजनाबद्व तरीके से मिलकर शासन को जवाबदेह व पारदर्शी बनाने हेतु किया गया प्रयास है। इसमें वंचित समुदाय के जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना है, ताकि मातृ मृत्यु तथा शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध हो सकें।

सफल प्रजनन स्वास्थ्य पैरोकारी के लिए रणनीतियां

महिला केंद्रित प्रजनन स्वास्थ्य के लिए पैरवी करना सरकार द्वारा राजनीतिक रूप से उचित कार्यक्रम तैयार कराने का एक मामला नहीं है। यह सरकार, सेवा प्रदाताओं, मीडिया, समुदाय के नेताओं और समुदायों के समन्वय करना और समाज में महिलाओं की स्थिति, उनके अधिकारों एवं पात्रताओं, पुरुष की जिम्मेदारी एवं भागीदारी आदि जैसे संवेदनशील मुद्दों पर व्यापक समझ और सहमति बनाने का एक जटिल मुद्दा है। किसी भी एक पक्ष के लिए इन सभी गतिविधियों में शामिल होना संभव नहीं है और इसलिए यह जरूरी है कि इच्छुक पक्ष स्वयं व्यापक आधार वाले गठबंधन में शामिल हो जाएं, ताकि अलग–अलग लोग उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर सकें, जिनमें वे सबसे अच्छे हैं। कार्यक्रम क्रियान्वयन और नीति तैयार करने दोनों मामलों में जब सरकारी अधिकारियों के साथ पैरवी करें एवं अपना पक्ष रखें (लॉबिंग) तब वह दिखाई दे और एक अन्य महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यह है कि प्रजनन स्वास्थ्य एवं अधिकार पर खास ध्यान देते हुए समुदाय को उनके अधिकारों की मांग के लिए एकजुट करना चाहिए।

पैरवी के विभिन्न प्रकार

मीडिया पैरवी

प्रिंट मीडिया का उपयोग करना – प्रेस रिलीज़, मीडिया परामर्श, संपादक के नाम पत्र, ओप–एड के लिए लेख लिखना, पत्रकारों को कार्यक्रमों को कवर करने के लिए आमंत्रित करना, विशेष लेख लिखना आदि।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया – रेडियो और टेलीविजन – पत्रकारों को कार्यक्रमों को कवर करने के लिए आमंत्रण, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी यानी मानवीय रुचिकर कहानियों को कवर करवाना, चर्चाओं और टॉक शो आदि में भाग लेना।

जन शिक्षा

- सार्वजनिक बैठकें और फिल्म शो, हस्ताक्षर अभियान, दीवार लेखन, पोस्टर, नुक्कड़ नाटक और अन्य लोकप्रिय या लोक माध्यमों का उपयोग।
- रिपोर्ट, ब्रीफिंग किट, पुस्तिकाएं, तथ्य पत्रक (फैक्ट शीट) और अन्य लिखित सामग्री तैयार करना।
- जनमत सर्वेक्षण और केन्द्रित समूह चर्चा और बातचीत

बातचीत एवं समझौता

- व्यक्तिगत बैठकों का आयोजन, फेस टू फेस संवाद, परिसंवाद (कंसल्टेशन), लिखित ज्ञापन

नीति व कार्यक्रम निगरानी

सुविधा केन्द्रों का भ्रमण – क्रियान्वयन मानचित्रण (मैपिंग), सामाजिक अंकेक्षण, उपभोक्ता और समुदाय के साथ साक्षात्कार

वैधायिक पैरवी

- राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ मिलना, ब्रीफिंग किट तैयार करना और प्रस्तुत करना
- विधानसभा/संसद में प्रश्न लगाने के लिए राजनेताओं से कहना
- उनके चुनाव घोषणापत्र तैयारी के दिनों में राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक
- विधायिका से जुड़े समितियों से जुड़े हुए या कानून बनाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए राजनेताओं के साथ बैठक और ब्रीफिंग

कानूनी पैरवी

- अदालत में अधिकारों के उल्लंघन के व्यक्तिगत मामलों को दर्ज कराना
- राज्यों के उच्च न्यायालयों या सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करना
- जन सुनवाई, न्यायाधिकरण और आयोग

इंटरनेट आधारित पैरवी

- मुद्दे को लेकर व्यापक स्तर पर मेल करना, कार्रवाई अलर्ट जारी करना, ई–हस्ताक्षर अभियान चलाना
- मुद्दे आधारित वेबसाइट्स और पोर्टल्स का निर्माण करना

प्रत्यक्ष कार्रवाई

- मुद्दे को लेकर धरना–प्रदर्शन
- जन सत्याग्रह, पद यात्रा

पैरवी करने वाली कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियों में निम्न शामिल हैं :

- कार्यकर्ताओं, स्वैच्छिक संस्थाओं और अन्य संबंधित कार्यकर्ताओं के बीच व्यापक एवं वृहद् गठजोड़ (एलायंस) का निर्माण
- समुदाय–आधारित शोध और उसके परिणामों को व्यापक स्तर पर प्रसार करना
- नौकरशाहों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की मानसिकता में बदलाव लाना
- सरकारी निकायों, स्वैच्छिक संस्थाओं और समुदाय के बीच वार्ता और सहभागिता के लिए रास्ते खोलना

- जमीनी या ग्राम स्तर से योजना निर्माण करते हुए उसे ऊपर तक ले जाने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना, जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करना, पंचायत को, विशेष रूप से महिला प्रतिनिधियों को शामिल करना
- प्रशिक्षण में बजट आबंटन में बढ़ोतरी, प्रशिक्षण में सामाजिक क्षेत्र के विशेषज्ञों को शामिल करना, स्वास्थ्य कर्मियों का कौशल उन्नयन
- एएनएम की कामकाजी परिस्थितियों में सुधार करना और उनके कार्य भारत को तर्कसंगत बनाना
- पुरुषों को शामिल करने के लिए एक रणनीति विकसित करना
- प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं और अधिकार के लिए महिलाओं और समुदाय से मांग पैदा करना

सत्र 04– बदलाव का नियोजन

उददेश्य :

- प्रतिभागी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का नियोजन तैयार कर पायेगें।

पद्धति : व्यक्तिगत शेयरिंग

सामग्री : बोर्ड/चार्ट, मार्कर

समय : 60 मिनट

गतिविधियां :

1. सर्वप्रथम प्रतिभागियों को जिले के हिसाब से तीन अलग–अलग समूह में बैठा दें।
2. इसके बाद प्रशिक्षक प्रत्येक समूह को निम्न ढ़ॉचे के आधार पर आपस में चर्चा करते हुए नियोजन तैयार करने के लिए कहें कि निम्न अलग–अलग स्तर पर क्या प्रयास करेगें?

आंगनबाड़ी सेविका– माता समिति, सखी सहेली समूह	सहिया– वी0एच0एन0सी0	एनम – वी0एच0एन0डी0	समूह के स्तर पर
▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪

3. तीनों समूहों के जिलावार तैयार नियोजन को बारी–बारी से प्रस्तुतीकरण करने के लिए कहें तथा दूसरे समूहों से यदि कोई सवाल हो तो पूछने के लिए कहें।
4. प्रशिक्षक को चाहिये कि वह तीनों समूहों की प्रस्तुतीकरण के बाद एक जैसे बिन्दुओं को चिन्हित करके एक प्लान तैयार करें।
5. इसके बाद प्रशिक्षक प्रतिभागियों से चर्चा करें कि तय किये गये नियोजन को पूरा करने के लिए किस तरह की मदद की जरूरत पड़ेगी।
6. प्रतिभागियों की जरूरत को ध्यान में रखकर फैसलिटेटर को संस्था से बात करने तथा इस प्रक्रिया को आगे ले जाने का सुझाव दें।

Three Days Animators and Facilitators training

Objectives of the training:

1. To build the perspectives of participants on key issues related to maternal and reproductive health in a rights framework.
2. To orient the participants on the health system with specific focus on maternal health provisions.
3. To introduce the concept of Social Accountability in Health and role of group to ensure accountability of health system at community level.

Draft Training Schedule

Time	Description	Method	Responsibility
Day 1			
10.00 to 11.00 AM	Welcome, Registration and ice breaking		
11.00 to 12.00 AM	Finalize learning expectations, Knowing anxiety, and setting up ground rules	Discussion in big group	
12.00 to 01.30 PM	• Recap of the last training		
01.30 to 02.30 PM	**Lunch Break**		
02.30 to 04.00 PM	• Determinants influencing women and child health – Social and Health System • Impact of health determinants on women and girls	Group work and presentation	
04.00 to 06.00 PM	• Maternal Health – Definition, Cause of maternal death • Services- ANC/PNC, Role of service provider at community level (ANM, Sahiya, AWW) • Men's role in ANC/PNC	Open discussion Lecture Collective discussion	
06.00 to 07.00 PM	• Watch documentary on VHND and discussion	Film screening	
Day 2			
09.00 to 10.00 AM	Recap of Day - 1	Big group	
10.00 to 01.00 PM	• Contraceptives- Definition, methods, Myths, Availability of services etc. • Men's participation in contraceptives	Small group discussion, Lecture Collective discussion	
01.00 to 02.00 PM	**Lunch Break**		
02.00 to 06.00 PM	• Social accountability in health- Need, Process • Role of men's group and PRIs to ensure social accountability	Lecture Film Screening- Sajhedar	
Day 3			
09.00 to 10.00 AM	Recap of Day - 2	Individual	
10.00 to 01.00 PM	Advocacy- Definition, Health advocacy, Why advocacy	Lecture	
01.00 to 02.00 PM	**Lunch Break**		
02.00 to 04.00 PM	• Strategy of maternal health right advocacy • Individual action plan	Lecture Individual	